(72)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1832–पीबीआर/16 विरूद्ध अंतरिम आदेश दिनांक 28–5–16 पारित द्वारा नायब तहसीलदार तहसील व जिला उज्जैन प्रकरण कमांक 1/अ–13/2015–16.

1– बद्रीलाल पिता भेरूसिंह पाटीदार
2– रामस्वरूप पिता भेरूसिंह पाटीदार
निवासीगण ग्राम हरसोदन
तहसील व जिला उज्जैन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– दुर्गाबाई पति दिलीप
2– धर्मेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण
3– शिवनारायण पिता मांगीलाल
4– राजूबाई पति मदनलाल
5– महेन्द्र पण्डया पिता कैलाशनारायण
6– ललिता पिता महेश
7– बाबूलाल चौहान पिता नामालूम
निवासीगण ग्राम हरसोदन
तहसील व जिला उज्जैन .....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक एवं
श्री व्ही.के. तारे, अभिभाषक अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/12/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार तहसील व जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम हरसोदन स्थित सर्वे कमांक 929 के समीप से होते हुए भूमि सर्वे कमांक 929, सर्वे कमांक 933/1, सर्वे कमांक 933/2, सर्वे कमांक 991/2, सर्वे कमांक 992/1, सर्वे कमांक 992/2,

सर्वे कमांक 995/1, सर्वे कमांक 995/2, सर्वे कमांक 991/1 से आवेदकगण सहित अन्य कृषकगणों के आने–जाने का वर्षों पराना रास्ता है, जिसका उल्लेख प्रश्नाधीन भूमियों की रजिस्ट्री व नक्शे में भी है । उक्त रास्ते को आवेदकगण गड्ढा खोदकर अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–13/2015–16 दर्ज कर दिनांक 28–5–16 को अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खोले जाने के निर्देश आवेदकगण को दिये गये । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 3–8–2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि उभय पक्ष के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उभय पक्ष की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गई है, जो कि संहिता के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है ।

(2) नायब तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश बगैर संहिता की धारा 32 के आवेदन के पारित किया गया है, जिसका कोई उत्तर भी आवेदकगण से नहीं लिया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विधि विधान की विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

(3) राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण की भूमि एवं अक्श में कोई रास्ता अंकित नहीं है और अनावेदकगण का कभी भी आवेदकगण की भूमि से आवागमन नहीं रहा है, बल्कि परम्परागत रास्ता ग्राम हरसोदन से अनावेदकगण के आवागमन के लिए आज भी मौजूद है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर स्थल निरीक्षण किये ऑफिस में बैठकर अनावेदकगण से सांठ–गांठ करके बिना किसी आधार के तैयार किया गया है एवं स्थल निरीक्षण की कोई प्रोसीडिंग नहीं है और न ही दिनांक का उल्लेख है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर पंचनामा तैयार किया गया है, जिसमें

उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर हैं, आवेदक बद्रीलाल स्थल निरीक्षण के समय उपस्थित था, किन्तु उसके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है । न्याय दृष्टान्त 1971 आर.एन. 166 गज्जा तथा अन्य विरूद्ध धूलजी में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

''धारा–131–अन्तरिम आदेश–अन्तर्भूत शक्ति के अधीन दिया जा सकता है–स्थल निरीक्षण के पश्चात दिया जा सकता है ।''

1989 आर.एन. 340 राधेश्याम विरूद्ध गंगाराम तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

''धारा 131 एवं 32–मार्ग के विषय में अंतरिम आदेश–स्थल निरीक्षण के पश्चात पारित किया जा सकता है–विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है ।''

1988 आर.एन. 292 जानी बाई (श्रीमती) विरूद्ध ठाकरसिंह में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

''धारा–131–अंतरिम आदेश–स्थल निरीक्षण के पश्चात अंतर्निहित शक्तियों के अधीन पारित किया जा सकता है ।''

इसी प्रकार 1974 आर.एन. 400 में भी इसी आशय का न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि स्थल निंरीक्षण किये जाने के पश्चात अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है । उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तहसील न्यायालय द्वारा अन्तरिम रास्ता दिये जाने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त अभी तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । नायब तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे तीन माह में प्रकरण का अन्तिम निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील व जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर